

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 16 अप्रैल, 2018

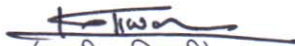
विषय :- एटा में अलीगढ़-कानपुर सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-91 के किमी 186 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/12/2018/एफसी/04 दिनांक 02.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2926/एटा-एनएच-91/22374/2017 दिनांक 16.04.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 16.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-953(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डॉ० दीपक कोहली)
अनु सचिव।